# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी** :–श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

**प्रकरण संख्या** :– 05/2025 (जी.सी.एम.एस. न0 2025/46)

**उनवानी प्रकरण** :–

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ---------- प्रार्थी

**बनाम्**

नासिर पुत्र श्री जमील जाति मुसलमान निवासी नृसिंह रोड तबेला थाना निहालगंज धौलपुर जिला धौलपुर ---------- अप्रार्थी

**इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975**

**उपस्थिति :–**

1– प्रार्थी की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

2– अप्रार्थी की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक।

**आदेश** दिनांक 19.01.2026

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, थाना निहालगंज धौलपुर जिला धौलपुर से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्व अप्रार्थी नासिर पुत्र श्री जमील जाति मुसलमान निवासी नृसिंह रोड तबेला थाना निहालगंज धौलपुर जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया, कि अप्रार्थी मारपीट करने व जुआ खेलने का आदतन अपराधी है जो रूपयों पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटेबाजी करते हुये कई बार पकडा गया है। अप्रार्थी को बार–बार जुआ खलते हुये गिरफतार करने, उसके विरूद्व चालान पेश न्यायालय में करने माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार अर्थ दण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहॉ वह स्वंय को इलाका में जूआ में सट्टा का किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है ऐसे अपराधी का खुले रूप में घूमना आम जनता के जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। अप्रार्थी के विरूद्व थाना निहालगंज धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण संख्या 77/1998 धारा 323,341 जिसमें चार्जशीट नम्बर 47 दिनांक 30.03.1998 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.1999 को बरूये राजीनामा बरी किया गया, प्रकरण संख्या 102/2000 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 30.04.2000 जिसमें चार्जशीट नम्बर 62 दिनांक 30.04.2000 को पेश न्यायालय की

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

गई एवं न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 17.05.2000 को दोषी करार कर 50रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 246/2000 अन्तर्गत धारा 323,341 आईपीसी दिनांक 23.09.2000 जिसमें चार्जशीट नम्बर 179 दिनांक 30.09.2000 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 16.10.2021 को प्रताडना के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 278/2002 अन्तर्गत धारा 323,341,23 आईपीसी दिनांक 04.11.2002 जिसमें चार्जशीट नम्बर 199 दिनांक 16.11.2002 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बरूये राजीनामा बरी किया गया। प्रकरण संख्या 83/2008 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 10.03.2008 जिसमें चार्जशीट नम्बर 42 दिनांक 28.03.2008 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2008 को 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 274/2008 अतंर्गत धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 03.08.2008 जिसमें चार्जशीट नम्बर 182 दिनांक 20.08.2008 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2008 को 100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण सख्या 362/2008 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 08.10.2008 जिसमें चार्जशीट नम्बर 243 दिनांक 21.10.2008 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 316/2021 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 03.08.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 145 दिनांक 07.08.2021 पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2021 को 200रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 47/2022 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 07.02.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 23 दिनांक 17.02.2022 पेश न्यायालय की गई जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को 200रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 77/2023 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 28.02.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 26 दिनांक 14.03.2023 पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 16.05.2023 को 200रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों को मध्यनजर रखते हुये उक्त अप्रार्थी ने अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिये नवयुवा पीढी को जुआ सटटे की आपराधिक लत लगा दी है तथा अप्रार्थी की गतिविधिया अवैध एवं समाज विरोधी हो गई है जिससे समाज में भय सन्त्रास व आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है। गैरसायल अभ्यासिक रूप से बिना कानून के भय के निर्वाद रूप से निरन्तर जूआ/सट्टे का अपराध कर रहा है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v)(viii) के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस जबाव इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी एक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है जिसकी टेलर की दुकान है। अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी गम्भीर/जघन्य वारदात बावत कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अप्रार्थी ने किसी भी व्यक्ति को जूआ/सट्टेवाजी के लिये प्रेरित नही किया ना ही इस बावत कोई भी प्रमाण है। अप्रार्थी के विरूद्ध साधारण

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

मारपीट के तीन मुकदमे 77/98,46/200, व 278/2002 क्रमशः 14.03.1998,03.09.2000 व 4.11.2002 को तकरीबन 2 साल के अन्तराल में दर्ज हुये थे जिनमें से मुकदमा 77/98 व 278/2002 थाना निहालगंज झूठे होने कारण बरूये राजीनामा निस्तारित हुये जिसमें अप्रार्थी को बरी किया जा चुका है। मु0न0 240/2000 अन्तर्गत धारा 323,341 थाना निहालगंज व 13 आरपीजीओ के सात मुकदमे जो निहालगंज पुलिस ने अप्रार्थी के विरूद्व अभियान के तहत झूठे दर्ज कराये थे को प्रार्थी ने तारीख पेशियों पर होने वाली समय की बर्वादी व निर्धन अवस्था होने के कारण मजबूरीवश जुर्म स्वीकार कर निस्तारित कराये थे। अप्रार्थी के विरूद्व 13 आरपीजीओ के मुकदमे नियमित रूप से कभी भी दर्ज नही हुये। पुलिस अभियान की आड में झूठे दर्ज कराये थे जिनके मध्य अन्तराल प्रस्तुत किये गये इश्तगासों से स्पष्ट है। अप्रार्थी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति नही है ना ही उसके द्वारा किसी को कोई जूआ खेलने की आपराधिक लत लगाई गई। अप्रार्थी की वजह से समाज में भय कभी उत्पन्न नहीं हुआ ना ही किसी भी अन्य नागरिक का जीवन खतरे में है। सम्बधिंत पुलिस ने अप्रार्थी के जुए व साधारण मारपीट के तहत लम्बे अन्तरालों के मध्य दर्ज कराये गये मुकदमों पर अवलम्बन कर बढा घटाकर इश्तगासा प्रस्तुत किया गया है जो सत्यता से परे है। अप्रार्थी गुण्डा किस्म का व्यक्ति नही है ना ही उसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है अप्रार्थी पर 13 आरपीजीओ का अन्तिम मुकदमा 28.02.2023 को दर्ज हुआ था उसके बाद तकरीबन ढाई सालों से अप्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है और अप्रार्थी समाज में रहते हुये अपने परिवार का सिलाई करके पालन पोषण कर रहा है। अतः अप्रार्थी का जबाव स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी ने कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्व कुल 10 प्रकरण पंजीबद्व है जिसमें से 02 प्रकरण में राजीनामा होने के कारण वरी किया गया है। किन्तु अप्रार्थी अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। अप्रार्थी अब्बल दर्जे का आदतन सटटा/जुआ खेलने का आदि है जो सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटेबाजी करते हुए कई बार पकडा गया है। अप्रार्थी की गतिविधिया अवैध एवं समाज विरोधी हो गई है जिससे समाज में भय सन्त्रास व आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है। उक्त प्रकरणों व उसकी आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(V)(VIII) की तारीफ में आता है जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी ने किसी भी व्यक्ति को जूआ/सट्टेवाजी के लिये प्रेरित नही किया ना ही इस बावत कोई भी प्रमाण है। अप्रार्थी के विरूद्व साधारण मारपीट के तीन मुकदमे 77/98,46/200, व 278/2002 क्रमशः 14.03.1998,03.09.2000 व 4.11.2002 को तकरीबन 2 साल के अन्तराल में दर्ज हुये थे जिनमें से मुकदमा 77/98 व 278/2002 थाना निहालगंज झूठे होने कारण बरूये राजीनामा निस्तारित हुये जिसमें अप्रार्थी को बरी

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

किया जा चुका है। मु0न0 240/2000 अन्तर्गत धारा 323,341 थाना निहालगंज व 13 आरपीजीओ के सात मुकदमे जो निहालगंज पुलिस ने अप्रार्थी के विरूद्व अभियान के तहत झूठे दर्ज कराये थे को प्रार्थी ने तारीख पेशियों पर होने वाली समय की बर्वादी व निर्धन अवस्था होने के कारण मजबूरीवश जुर्म स्वीकार कर निस्तारित कराये थे। अप्रार्थी के विरूद्व 13 आरपीजीओ के मुकदमे नियमित रूप से कभी भी दर्ज नही हुये। पुलिस अभियान की आड में झूठे दर्ज कराये थे जिनके मध्य अन्तराल प्रस्तुत किये गये इश्तगासों से स्पष्ट है। अप्रार्थी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति नही है ना ही उसके द्वारा किसी को कोई जूआ खेलने की आपराधिक लत लगाई गई। अप्रार्थी के खिलाफ कोई ऐसा गम्भीर अपराध नहीं है जिससे अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अपराध बनता हो।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :–

(ख) "गुण्डा" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो–
1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेडता हुआ पाया गया हो, अथवा
7. हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने बालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को

जिला मजि.
धौलपुर (राज0)

धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :– किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहाँ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:– प्रकरण संख्या 77/1998 धारा 323,341 जिसमें चार्जशीट नम्बर 47 दिनांक 30.03.1998 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.1999 को बरूये राजीनामा बरी किया गया, प्रकरण संख्या 102/2000 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 30.04.2000 जिसमें चार्जशीट नम्बर 62 दिनांक 30.04.2000 को पेश न्यायालय की गई एवं न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 17.05.2000 को दोषी करार कर 50रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण संख्या 246/2000 अन्तर्गत धारा 323,341 आईपीसी दिनांक 23.09.2000 जिसमें चार्जशीट नम्बर 179 दिनांक 30.09.2000 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 16.10.2021 को प्रताडना के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 278/2002 अन्तर्गत धारा 323,341,23 आईपीसी दिनांक 04.11.2002 जिसमें चार्जशीट नम्बर 199 दिनांक 16.11.2002 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बरूये राजीनामा बरी किया गया। प्रकरण संख्या 83/2008 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 10.03.2008 जिसमें चार्जशीट नम्बर 42 दिनांक 28.03.2008 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2008 को 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 274/2008 अतंर्गत धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 03.08.2008 जिसमें चार्जशीट नम्बर 182 दिनांक 20.08.2008 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2008 को 100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण सख्या 362/2008 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 08.10.2008 जिसमें चार्जशीट नम्बर 243 दिनांक 21.10.2008 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा 100रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 316/2021 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 03.08.2021 जिसमें चार्जशीट नम्बर 145 दिनांक 07.08.2021 पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2021 को 200रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 47/2022 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 07.02.2022 जिसमें चार्जशीट नम्बर 23 दिनांक 17.02.2022 पेश न्यायालय की गई जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को 200रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण संख्या 77/2023 धारा 13 आरपीजीओ दिनांक 28.02.2023 जिसमें चार्जशीट नम्बर 26 दिनांक 14.03.2023 पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 16.05.2023 को 200रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। अप्रार्थी अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरूद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा। क्योंकि धारा 2 (ख) की

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि " **राजस्थान सार्वजनिक जूआ अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता हैं वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और अप्रार्थी को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी नासिर पुत्र जमील जाति मुसलमान निवासी नृसिंह रोड तबेला थाना निहालगंज जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में अप्रार्थी जिला करौली में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय–अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेन्सी हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। अप्रार्थी प्रथमतः पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर अप्रार्थी को पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगें। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में अप्रार्थी नासिर पुत्र श्री जमील जाति मुसलमान निवासी नृसिंह रोड तबेला थाना निहालगंज धौलपुर जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगें। 15 दिवस पूरे होने पर अप्रार्थी नासिर जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

( श्रीनिधि बी टी )
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर